



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GA 331988

Kamleshwar
 NOTARY PUBLIC
 GOVERNMENT OF INDIA
 S. K. Nagar (U.P.)

प्रारम्भ - अ

सत्र 2023-24 में नदस्थापित की जाने वाली विलोम इन कर्मेली संस्थानों की सौसायटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी कथन-पत्र का प्रारम्भ :-

हम, विनय कुमार चतुर्वेदी एवं अदिति चतुर्वेदी कर्मल: अध्यक्ष एवं सचिव श्री गणेश बार्वा एडुकेशनल सोसायटी, प्लॉट नं० आई-2, औद्योगिक क्षेत्र, खलीलबाद-संत कबीर नगर शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं।

1. यह कि हमारी सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा प्रमा देवी पैरामेट्रिकल कॉलेज, प्लॉट नं० आई-2 औद्योगिक क्षेत्र, खलीलबाद-संत कबीर नगर नामक विलोम इन कर्मेली संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसायटी/ट्रस्ट के नाम औद्योगिक क्षेत्र, खलीलबाद-संत कबीर नगर में गाटा संख्या प्लॉट नं० आई-2 एवं सक्का क्रमांक 1,1045 हेक्टेयर भूमि का है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का बोर्ड भी बांध किसी भी न्यायालय में लगे चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त प्लॉट पर सोसायटी के नाम उपरोक्त भूमि के गाटा संख्या प्लॉट नं० आई-2 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की विलोम इन कर्मेली संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसायटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक-03.02.2024 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित विलोम इन कर्मेली संस्थान के संस्थान अनुसूची का निर्माण अनुसूचित नक्शे के अनुसार किया गया है।

NOTARY
 S. K. Nagar
 1728
 30.08.24

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समस्त उपरोक्त कार्य पर संसाधनी/ट्रस्ट के नाम भूमि का उस पर निर्मित एवं निर्माणाधीन भवन को ही निरीक्षण समिति के समस्त निर्माण हेतु अनुमति दिया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर कर्नाटी कारपोरेशन ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही विद्यमान कर्नाटी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में कर्नाटी कारपोरेशन ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध सर्टिफिकेट एवं प्रोग्राम कम्प्लेट के अनुसार ही सर्टिफिकेट में प्रविष्टान प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में कर्नाटी कारपोरेशन ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा कम्प्लेट से सम्बद्ध सर्टिफिकेट एवं सर्टिफिकेट के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/सहायिद्यालय/अडॉप्टेड/अडॉप्टेड आदि का संचालन न हो पूर्व में कमी किया गया है, और न ही भविष्य में कमी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कक्षा कम, प्रयोगशालाएँ एवं कार्यालयों आदि को कर्नाटी कारपोरेशन ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक वार्षिक एवं अर्धवार्षिक लेखा की तैयारी संसाधनी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का कर्नाटी शासन करेगा। यदि भी संस्थान में किसी भी समय स्थानीय निरीक्षण में मनकानुशासक बोर्ड में कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्देश क्रिये होगा एवं मुझे मन्व होगा। इस हेतु मैं द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं करे जाये।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना सभी निर्देशों/आदेशों के पूर्व रूप से सत्य है। यदि दो गयी जानकारी एवं अनिर्दिष्ट/दस्तावेज कमी सुसज्जित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मैं विरह परिषद द्वारा नियमनुशासकी कानून सत्र कार्यवाही की जा सकेगा। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं सत्र संसाधनी होकरेगा।



Handwritten signature